A Parela

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म०प्र० {समक्ष–अमित कुमार गुप्ता}

<u>विविध आप0प्र0क0 05 / 2012</u> संस्थापित दिनांक—18 / 01 / 2012

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी गंधर्व सिंह पुत्री श्री सरनाम सिंह आयु 37 साल, निवासी— ग्राम दाने बाबा का पुरा, थाना मौ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

..... आवेद क

<u>बनाम</u>

गंधर्व सिंह पुत्र औछेलाल कुशवाह आयु ४० साल निवासी— ग्राम ग्यारहा तहसील सेंवडा थाना मंगरोल, जिला दितया म०प्र०।

...... अनावेदक

<u>ः– आ देश –ः</u>

(आज दिनांक 30.03.2017 को पारित किया)

इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 125 दप्रसं0 1973 (जिसे अत्र पश्चात् ''संहिता'' कहा जाएगा), वास्ते अनावेदकगण से भरणपोषण् सशि दिलाए जाने बावत्, का निराकरण किया जा रहा है।

- 2. प्ररकण में यह तथ्य उल्लेखनीय व स्वीकृत है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता धर्म पत्नी है । उनका विवाह करीब 20 वर्ष पूर्व हुआ था।
- 3. आवेदन पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका की शादी अनावेदक के साथ हिंदू रीतिरिवाज से संपन्न हुई थी। विवाह में आवेदिका के पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान—दहेज 50,000/— रूपए नगद, घर गृहस्थी का सामान व सोन—चांदी के आभूषण कुल मिलाकर लगभग एक—डेढ़ लाख रूपए खर्च किया था। शादी के तीन—चार वर्ष तक आवेदिका व अनावेदक के संबंध ठीक रहे और उनसे संताने उत्पन्न हुई, जो वर्तमान में अनावेदक के साथ निवास कर रही हैं। इसके बाद अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा वह छोटी—मोटी बातों के लिए आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा और 50,000/— रूपए विवाह के शेष बताता है और कहता है कि उक्त 50,000/— रूपए ले आए तभी साथ में रखूंगा। आवेदिका के द्वारा मना करने पर अनावेदक उसकी मारपीट, गाली—गलौंच करता था । वह अत्याचार चुपचाप सहती रही, परंतु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। आवेदिका को दो—दो दिन तक ताले में बंद रख के खाने—पीने को नहीं देता था। दिनांक 11.01.2007 को जब आवेदिका अपने घर के काम में व्यरथ

थी तो अनावेदक आया और कहा कि अगर 50,000 / — रूपए अपने पिता से नहीं लाई तो घर में नहीं रखेगा। आवेदिका ने अपने पिता के वृद्ध होने और आय का साधन न होने से राशि देने में असमर्थता व्यक्त की तो अनावेदक लातघूसों से मारपीट करने लगा और बाल खींचकर घर के बाहर लाकर मारपीट की । इसके बाद आवेदिका ने अपने माता—पिता को फोन से सूचना दी, तब उसके माता—पिता वहां गए तो अनावेदक ने उनको भी अपमानित किया और 50,000 / — रूपए लाने पर ही आवेदिका को रखने के लिए कहा। आश्वासन पर 2—4 दिन ठीक रखा, परंतु पुनः मारपीट करने लगा। दिनांक 11.01.2007 को आवेदिका को मारपीट कर पहने हुए कपड़ों में छोड़ दिया और बच्चों को अपने साथ रख लिया, तब से अनावेदक ने आवेदिका की कोई खोज—खबर नहीं ली। आवेदिका ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की परंतु अनावेदक ने कोई उत्तर नहीं दिया। आवेदिका कम पढ़ी लिखी महिला है और कोई कामकाज नहीं जानती है और उसके माता—पिता भी वृद्ध है। बड़ी मुश्किल से आवेदिका का खर्चा वहन कर पाते हैं। अनावेदक के पास स्वयं की 10 बीघा जमीन है, जिससे सालाना दो लाख रूपए की आमदनी होती है। इसके अलावा छः भैंसें और तीन गाय से 10—15 हजार रूपए की आमदनी होती है। अनावेदक के किसी अन्य महिला से अनैतिक संबंध हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा है। अतः 5000 / — रूपए महीना भरणपोषण प्रकरण का व्यय दिलाने की प्रार्थना की है।

अनावेदक की ओर से आवेदिका के अभिवचनों का खंडन करते हुए यह लेख किया है कि आवेदिका से उसकी शादी बिना किसी दान–दहेज के जवाब प्रस्तुति के लगभग 17 वर्ष पूर्व हो गई थी। उसने आवेदिका को अच्छे से रखा। कभी भी परेशान नहीं होने दिया, उसकी दो संताने जीतू उर्फ जितेन्द्र एवं विमला अनावेदक के साथ रहती हैं। जिन्हें पढ़ाने-लिखाने, भरणपोषण का इंतजाम वह करता है। आवेदिका जानबूझकर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के छोड़ के चली गई है। आवेदिका व अनावेदक की दो अन्य संताने भी हुईं थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शादी में दो लाख रूपए की बात व 50,000 / — रूपए की मांग करने के संबंध में तथ्यों की सत्यता से इंकार किया है। अनावेदक ने आवेदिका की न कभी मारपीट की न कभी अमानवीय व्यवहार किया। उसके द्वारा कभी कोई अत्याचार नहीं किया गया। आवेदिका स्वेच्छयाचारी है वह स्वयं अनावेदक व उसके बच्चों को छोड़कर चली गई है। दिनांक 11.01.2007 को कोई बातचीत नहीं हुई। स्वयं अपनी मर्जी से आवेदिका अपने माता–पिता के यहां रहने लगी । मारपीट करने व फोन करने आदि संबंधी तथ्य मिथ्या लेख किए हैं। अनावेदक आवेदिका को अपने साथ ले जाने को सहमत है और अपने साथ रखने को तैयार है। आवेदिका अपनी मर्जी से गई है और कई बार प्रयास करने पर भी नहीं आ रही है। वह पढ़ी लिखी महिला है और सिलाई का काम भी जानती है, किंतु स्वयं अनावेदक से पृथक रहने से वह दामपत्य सुखों से वांछित हो रहा है। उसके पास 10 बीघा जमीन नहीं है और न ही दो लाख रूपए की आय होती है। अनावेदक मजदूर व्यक्ति है, कभी मजदूरी मिलती है और कभी

नहीं मिलती है। उसके पास कोई डेयरी व्यवसाय नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपना भरणपोषण कर पा रहा है। अनावेदक के किसी महिला से कोई अनैतिक संबंध नहीं हैं। अतः प्रस्तुत आवेदनपत्र आवेदिका द्वारा उसे परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदक ने अपनी भांजी सुमन का कन्यादान मई 2011 में लिया था, तब आवेदिका को उनका लड़का जितेन्द्र लेकर आया था और दो महीने तक आवेदिका अनावेदक के साथ रही। दो माह बाद आवेदिका के भाई राधेलाल के यहां लड़का हुआ, तब वह लिबा ले गया, तब से मायके में रह रही है। कई बार प्रयास करने पर भी आवेदिका अनावेदक के साथ नहीं रहती है। अनावेदक का जेवर आवेदिका व उसके माता—पिता हड़पना चाहते हैं, इस कारण आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदिका का पिता 50,000 / — रूपय ले गया था वह भी मांगने पर नहीं देता है। अतः आवेदन पत्र का सब्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5 प्रकरण मे मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

- 1-क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
- 2-क्या आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
- 3-क्या अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण करने में इंकार या उपेक्षा कर रहा है ?
- 4-क्या आवेदिका भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं ?
- 5-सहायता एवं व्यय।

सकारण निष्कर्ष

6. आवेदिका द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं श्रीमती इन्द्रा देवी आ०सा 01, सिरनाम अ०सा० 02 परीक्षित कराया गया है, जबिक अनावेदक की ओर से स्वयं अनावेदक गंधर्व सिंहं अना०सा० 01, मानसिंह अना० सा० 02, केदार सिंह अन०सा० 03 को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजों में आवेदिका की ओर से कोई दस्तावेज पस्तुत नहीं किया, जबिक अनावेदक की ओर से प्र०पी० डी० 01 लगायत 08 के दस्तावेज पेश किय हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष

07. आवेदिका श्रीमती इंदिरा आ०सा० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अनावेदक गंधर्विसंह भैंसे रखता है। उसके पास 6 भैंसे तथा 8–10 बकरी हैं जिनका दूध डेयरी पर देता है इसके अतिरिक्त 20 वीघा जमीन में दो ट्रॉली सरसों तथा दो ट्रॉली गेहूँ की फसल होने का कथन करती है। साक्षी दूध व्यवसाय से अनावेदक को 5 हजार रूपये की आमदनी होने का कथन करती है जबिक अनाज बेचकर होने वाली आमदनी के संबंध में कथन करने में अस्मर्थ है। सरनाम आ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि अनावेदक के पास 4 भैंसे तथा 20–25 बकरियां हैं एवं 20 वीघा

जमीन जिसमें दो ट्रॉली गेहूँ तथा एक ट्रॉली सरसों की फसल होने का कथन करते हैं। साक्षी अनावेदक को जमीन से दो ढाई लाख रूपये की आमदनी तथा दूध के व्यवसाय से दो लाख रूपये की वार्षिक आय होने का कथन करते हैं।

- 08. अनावेदक गंधर्व अना0सा0 1 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में मजदूरी करने का कथन करते हुए उसके पास कोई भी पशु धन होने के तथ्य से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि उनके पिता के नाम से कोई जमीन नहीं हैं, माँ के नाम एक सवा वीघा जमीन हैं। इसके अतिरिक्त अनावेदक की ओर से गरीबी रेखा का राशनकार्ड प्र0डी0 6 के रूप में प्रस्तुत किया है। उक्त राशनकार्ड के अतिरिक्त उसके पास कोई भी जमीन न होने का पटवारी द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया है। साथ ही अनावेदक के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण का परिचय पत्र प्र0डी0 5 जिसकी छायाप्रति प्र0डी0—5 सी के रूप में प्रस्तुत की है। अनावेदक की ओर से साक्षी मानसिंह अना0सा0 2 के द्वारा भी अनावेदक के मजदूरी करने व अन्य कोई व्यवसाय न करने का कथन किया गया है। आवेदिका के द्वारा प्रकरण में अनावेदक के पास कोई कृषि भूमि हैं इसके संबंध में कोई भी दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया है। पशुधन के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- अनावेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक मजदूरी करके अपना तथा दो बच्चों का भरणपोषण करता है और आवेदिका का सिलाई के माध्यम से 300 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी कमा लेती है, ऐसे में वह स्वयं पर्याप्त साधन रखती है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क कि आवेदिका स्वयं 300 रूपये प्रतिदिन कमा लेती है, के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक अनावेदक का मजदूरी करके अपना व परिवार का भरणपोषण का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसका यह तर्क राशि के निर्धारण में सुसंगत हो सकता है, अनावेदक के पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति होने के संबंध में यह तर्क कोई बचाव का आधार नहीं हो सकता है। ऐसे में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत रामदयाल वैश्य विरूद्ध अनीता कुमारी 2004 सी0आर0एल0जे0 3669 की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति कमाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो दप्रसं0 की धारा 125 के संबंध में यह माना जाएगा कि वह पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। साथ ही न्यायदृष्टांत श्रीमती शीलाबाई व अन्य विरूद्ध अशोक कुमार आई०एल०आर० 2014 म0प्र0 832 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पति स्वस्थ और योग्य शरीर वाला है तो वह उसके पत्नी एवं बच्चों के भरणपोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। अतः यदि पति साधू भी हो गया है तो भी अपनी पत्नी व बच्चों के भरणपोषण का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **हरदेवसिंह विरूद्ध उ०प्र० राज्य 1995 सी०आर०एल०जे० 1652** अवलोकनीय हैं। अतः अनावेदक का पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होना प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष

आवेदिका के द्वारा उसके अशिक्षित महिला होने के आधार पर भरणपोषण करने में अस्मर्थ 10. होने का कथन करते हुए 11 साल से अपने पिता के यहां निवासरत होने का कथन किया है। सिरनाम आ0सा0 2 द्वारा उसकी पुत्री का लगभग 8-9 साल से उसके घर पर रहने का कथन किया है। यह तथ्य अभिलेख पर स्पष्ट है कि आवेदिका अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला है। अनावेदक द्वारा आवेदिका का सिलाई कार्य करके 300 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी कमा लेने के संबंध में कथन किया गया है। यद्यपि अभिकथित 300 रूपये की मजदूरी कमा लेने के संबंध में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी समर्थन नहीं किया गया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पत्नी का स्वयं अपना भरणपोषण करने में समर्थ होने का तर्क क्या अनावेदक को उसके नैतिक व विधिक दायित्व से उन्मुक्त कर देता है ? किंतु यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि आवेदिका कुछ कार्य करके अपना भरणपोषण कर रही हो तो भी उसके द्वारा जीने के लिए कुछ कमा लिए जाने का आधार भरणपोषण से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता है। पत्नी पति के साथ जैसा जीवन गुजारती थी, वैसा ही जीवन स्तर उसे अलग रहने पर भी मिलना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत चतुर्भुज विरूद्ध सीता बाई ए०आई०आर० २००८ एस०सी० ३० अवलोकनीय है। इस प्रकार से सर्वप्रथम तो आवेदिका की आय के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और यदि उसके द्वारा अपने जीवन यापन हेतु कुछ धन अर्जित किया जा रहा है तो वह आवेदिका का और उसकी अवयस्क संतान का भरणपोषण दिलाए जाने में इंकार का आधार नहीं हो सकता है। अत ः यह प्रमाणित हो जाता है कि आवेदिका अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है। 🧪

विचारणीय प्रश्न कमांक 03 व 04 का निष्कर्ष

- 11. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदिका श्रीमती इंदिरा आ०सा० 1 ने यह कथन किया है कि वह अपने पिता के यहां करीब 11 वर्ष से रह रही है। वह जब भी अपने ससुराल जाती है तो अनावेदक उसे रहने नहीं देता और धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। आवेदिका द्वारा उसके भरण पोषण दिलाए जाने की सहायता चाही है। सरनाम आ०सा० 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदिका करीब 8–9 वर्ष से उसके यहां रह रही है। यह साक्षी भी आवेदिका के ससुराल जाने पर अनावेदक द्वारा रखने से मना कर देने और भगा देने का कथन करते हैं। इस प्रकार से दोनों साक्षियों द्वारा अनावेदक के द्वारा आवेदिका को रखने से मना कर देने तथा भरण पोषण से इंकार का कथन किया है।
- 12. अनावेदक द्वारा अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि आवेदिका बिना कारण के अपनी मर्जी से अपने मायके रह रही है, उसने कभी पत्नी के साथ कोई झगडा नहीं किया और न हीं उसके किसी महिला से अवैध संबंध हैं। आवेदिका ने उसके प्रथक रहने का कारण आवेदनपत्र में अन्य

महिला मुन्नी नाम की, के साथ अनावेदक के अनैतिक संबंधों का तथ्य लेख किया है जबिक अपने अमिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में इसका कोई कथन नहीं किया। आवेदिका द्वारा स्वयं अनावेदक के यहां न जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण की किण्डका 6 में यह आधार बताया है कि अनावेदक ग्राम सहगंवा की मुन्नी नाम की औरत को रखे हुए हैं। साक्षी इसी किण्डका में किथत मुन्नी को अनावेदक के साथ रहने देखने का कथन करती है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आवेदिका अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 तथा सिरनाम आठसाठ 2 भी किण्डका 3 में स्वीकार करते हैं कि उसका लडका व लडकी दोनों अनावेदक के पास रहते हैं। ऐसे में यह नितांत अस्वाभाविक तथ्य है कि कोई संतान अपनी माता से भिन्न किसी स्त्री को अपने पिता के पास रहने के लिए स्वीकार करे। आवेदिका इंदिरा आठसाठ 1 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 6 में स्वीकार करती है कि उसने अनावेदक द्वारा दूसरी औरत को रखे होने के संबंध में थाने और न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है, जबिक आवेदिका स्वयं अनावेदक से करीब 11 वर्ष से प्रथक रहना बताती है। ऐसे में आवेदिका के द्वारा कथित अन्य महिला के साथ उसके पित के अनैतिक संबंधों रखे होने के संबंध में कोई भी सुदृढ़ साक्ष्य अमिलेख पर नहीं हैं।

- 13. विधि के अधीन यदि कोई स्त्री अपने पित के अन्य महिला से संबंध होने के आधार पर प्रथक रहती है तो वह उसके प्रथक रहने का न्यायोचित आधार हो सकता है किन्तु अभिकथित संबंध के बारे में अभिलेख पर युवियुक्त व विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर होना आवश्यक है। सरनाम आ0सा0 2, जो कि आवेदिका का पिता है, अपने अभिसाक्ष्य में अनावेदक के किसी अन्य महिला से संबंध होने के बारे में कोई भी कथन नहीं करता है। ऐसे में आवेदिका द्वारा अभिकथित विवाहत्तेर संबंध होने के बारे में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक के साथ उनकी संतानें निवास करने का तथ्य स्वयं आवेदिका व उसके पिता द्वारा अभिसाक्ष्य में स्वीकार किए हैं। यहां यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य हैं कि आवेदिका अपने बच्चों की सही सही उम्र प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताने में अस्मर्थ है। अनावेदक द्वारा उसके संतानों का भरणपोषण किया जाता है जैसा कि साक्ष्य में स्वीकृत किया गया है। ऐसी दशा में अनावेदक के द्वारा आवेदिका के भरणपोषण से उपेक्षा अथवा इंकार किए जाने का तथ्य आवेदिका की साक्ष्य से युक्तयुक्त रूप से समर्थित नहीं हैं।
- 14. प्रकरण में आवेदिका द्वारा उसकी शादी 15—16 साल पहले होना बताई है जबिक अपने एक बच्चे की आयु 18 वर्ष होने का कथन उसने तथा सिरनाम आ0सा0 2 द्वारा भी किया गया है। ऐसे में आवेदिका की अनावेदक से शादी निश्चित रूप से 18 वर्ष से अधिक समय पूर्व से होने का तथ्य स्पष्ट होता है। आवेदिका जो 11 वर्ष से अपने पिता के पास निवास करना बताती है जबिक पिता 8—9 वर्ष से उसके पास निवास करने का कथन करते हैं। आवेदिका शादी के 3—4 साल बाद से छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने का कथन करती है जबिक सरनाम आ0सा0 2 शादी से 5—6 साल तक ठीक से आवेदिका को रखने का कथन करते हैं। आवेदिका की ओर से

प्रस्तुत साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अनावेदक उसे लाठी, कुल्हाडी से मारता था, फांसी पर लटकाने और जहर पिलाने का प्रयास करता था। किण्डिका 7 में यह कथन करती है कि उसने अनावेदक द्वारा लाठी, कुल्हाडी से मारने, फांसी पर लटकाने व जहर पिलाने का प्रयास करने की बात अपने आवेदन में लिखाई होगी जबिक इस प्रकार की कोई बात उसके आवेदनपत्र में लेख नहीं हैं। साक्षी सिरनाम आठसाठ 2 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अनावेदक का आवेदिका को लाठी, कुल्हाडी से मारने व फांसी पर लटकाने व जहर पिलाने के प्रयास का कोई भी कथन अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया है। आवेदिका द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने मारपीट के संबंध में कभी कोई रिपोर्ट किसी थाने में नहीं की। ऐसे में आवेदिका के आचरण से अभिकथित कूरता कारित किए जाने के संबंध में विश्वास योग्य साक्ष्य दर्शित नहीं हैं।

15. आवेदिका अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करती है कि तीन बार राजीनामा के लिए पंचायत हुई थी। सिरनाम आठसाठ 2 मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे पंचायत में अपनी लड़की को लेकर गए थे। अनावेदक गंधर्व अनाठसाठ 1 यह कथन करते हैं कि वे आवेदिका को रखने को तैयार हैं, उसे लेने मायके दानीबाबा का पुरा गए थे किन्तु उसके पिता ने नहीं भेजा। साक्षी प्रकरण में पंचायत का पंचनामा प्रस्तुत करना बताते हैं। साक्षी मानसिंह अनाठसाठ 2 मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि अनावेदक व वह आवेदिका को लेने उसके मायके गए थे तो आवेदिका के पिता ने रखने से मना कर दिया था जिसके संबंध में ग्राम पंचायत के 11 लोगों द्वारा पंचनामा बनाए जाने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में पंचनामा प्रठडीठ—7 पर अपनी पत्नी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अतरसिंह अनाठसाठ 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं वे आवेदिका के गांव दानेबाबा के पुरा में आवेदिका के घर के सामने ही रहते हैं। आवेदिका को लेने अनावेदक व अन्य लोग 2 साल 10 महीने पहले आए थे, उन्होंने आवेदिका के पिता से कहािक लड़की को भेज दो तो लड़की के पिता ने भेजने से मना कर दिया जिसके संबंध में दिठ 23.03.14 को प्रठडीठ 8 का पंचनामा बनाए जाने का कथन करते हैं जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

16. प्रकरण में अनावेदक की ओर से न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दितया के वैवाहिक प्रकरण कमांक 16/14 गंधर्वसिंह विरूद्ध इन्द्रादेवी की प्रमाणित प्रति प्र०डी० 1, आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति प्र०डी० 2 के रूप में पेश की है जिसके अनुसार दिनांक 16.06.14 को उक्त आवेदन पत्र आवेदिका के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 20.07.2015 प्र०डी० 3 तथा आज्ञप्ति प्र०डी० 4 के रूप में प्रस्तुत की है। आवेदिका द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में यह स्वीकार किया है "यह सही है कि जानकारी होने पर भी मैं सेवढा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई।" इस प्रकार से आवेदिका द्वारा अनावेदक के साथ रहने से

- 17. संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 के अधीन आवेदिका के पक्ष में भरण पोषण आदेश किस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, यह अपवाद दिया गया है जो शब्दशः निम्नानुसार है—
- "(4) No wife shall be entitled to receive an [allowance for the maintenance or the interim maintenance expenses of proceeding, as the case may be,] from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent."

इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदिका को अनावेदक द्वारा बिना किसी कारण से उसके दामपत्य अधिकारों के सुख से वंचित कर रखा है। साथ ही आवेदिका व अनावेदक की दोनों संतानें अनावेदक के पास हैं जिनका भरणपोषण भी अनावेदक द्वारा किया जाता है। ऐसे में अनावेदक द्वारा आवेदिका के भरण पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा या इंकार का तथ्य प्रमाणित नहीं हैं और आवेदिका अनावेदक से कोई भरणपोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ष

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों की अधिप्रबलता के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है किन्तु आवेदिका का अनावेदक से बिना किसी न्यायसंगत व युक्तियुक्त कारण के उसे दामपत्य अधिकारों से वंचित करते हुए प्रथकतः निवास करना प्रमाणित पाया गया है। अतः आवेदिका अनावेदक से भरणपोषण के रूप में कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश